

25

कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा इन्चार्ज

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2014-15 फार्म

1- अधिकारी/कर्मचारी (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें रहा हो श्रीमती मीरा बाणसिने (म.प. विद्या सेवा)
 2. वर्तमान धारित पद प्रिन्सिपल टी.टी.टी. वर्तमान वेतन 21230/- + 5400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2015

उस जिले, उपसभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट, या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>इंदौर</u>	<u>गृह</u>	<u>-</u>	<u>लगभग 5 लाख</u>	<u>-</u>	<u>प्लॉट - जी.पी.एफ. से खोले लोक सिविली भूखाना - उपरोक्त प्लॉट पर I.D.B.I. इंदौर बैंक से लोन लिया है।</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

हस्ताक्षर - ChhikhaVE
 दिनांक - 19/07/15
 जिला - श्रीमती मीरा बाणसिने
 पता - पारनाम
 कामस्थान - लेखा प्रशिक्षण शाला
इंदौर

1. जहाँ लक्ष्य न हो कार इन्चार्ज
 2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहीं वर्तमान स्थिति के तहत न जानकर मूल्य दर्शाया जाये
 3. उपरोक्त अनुसूची में धरते न सम्मिलित है।
 टिप्पणी - म.प्र. शासकीय संकलन अधिनियम-1969 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी एवं कर्मचारी के सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को उनकी सम्पत्ति का विवरण तैयार करना है।
 यह अधिनियम 1969 के अन्तर्गत तैयार की गई सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को तैयार करने और इसमें उक्त अधिनियम की प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जित सम्पत्ति का विवरण तैयार करने का प्रावधान है।
 यह अधिनियम 1969 के अन्तर्गत तैयार की गई सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को तैयार करने का प्रावधान है।